संयुक्त राष्ट्र

स्रक्षा परिषद डिस्ट्र:जनरल

प्रस्ताव 2153 (2014)

29 अप्रैल 2014 को स्रक्षा परिषद द्वारा अपनी 7163वीं बैठक में अंगीकृत

स्रक्षा परिषद.

कोटे डी' आइवरी की स्थिति को लेकर 1880 (2009), 1893 (2009), 1911 (2010), 1933 (2010), 1946 (2010), 1962 (2010), 1975 (2011), 1980 (2011), 2000 (2011), 2045 (2012), 2062 (2012), 2101 (2013), और 2112 (2013), जैसे कुछ ख़ास प्रस्तावों से पिछले प्रस्ताव और अध्यक्ष के बयान को वापस लेना

कोटे डी' आइवरी की प्रभुसत्ता, आज़ादी, क्षेत्रिय अखंडता एवं एकता की तरफ जिम्मेदारी को पुष्ट करना, और अच्छी मिलनसारिता, अहस्तक्षेप एवं क्षेत्रिय सहयोग के सिद्धांतों को याद करना,

सेक्रेटरी-जनरल की 24 दिसम्बर 2013 (S/2013/761), की ख़ास रिपोर्ट का स्वागत करना, और विशेषज्ञों के संयुक्त राष्ट्र समूह की 2013 की मध्याविध रिपोर्ट (S/2013/605), एवं 2014 की फाइनल रिपोर्ट (S/2014/266), को नोट करना,

कोटे डी' आइवरी में चल रहे सुरक्षा, शांति एवं स्थिरता के कार्यों की समस्त प्रक्रिया का स्वागत करना, कोटे डी' आइवरी की सुरक्षा स्थिति को स्थिर करने और वित्तीय कार्यों की बहाली करने के कार्यों के लिए राष्ट्रपित एवं सरकार की तारीफ करना और अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रिय सहयोग को मजबूत करना और घाना एवं लाइबेरिया की सरकारों के साथ बढ़ चढ़ कर सहयोग करना और देश के सभी हिस्सेदारों को एक साथ प्रगति कार्यों को मजबूत करने एवं तनाव और संघर्ष के कारणों का पता लगाने के लिए बुलाना,

प्रस्ताव 1572 (2004), 1643 (2005), 1975 (2011) एवं 1980 (2011) के उपायों और आगे संशोदित प्रस्तावों का कोटे डी' आइवरी की स्थिरता बहाल करने के लिए किया गया कार्य जिसमें छोटे हथियार एवं हलके हथियार के गैर-कानूनी स्थानांतरण को रोकना साथ ही साथ संघर्ष के बाद शांति की स्थापना, निरस्त्रीकरण, वियोजन एवं पुनर्घटन (डीडीआर) और सुरक्षा सेक्टर सुधार (एसएसआर) का समर्थन करना और इस बात पर जोर देना की डीडीआर एवं एसएसआर, राष्ट्रीय सामंजस्य और दंडमुक्ति के खिलाफ संघर्ष के हिसाब से ये उपाय कोटे डी' आइवरी में शांति कार्यों का समर्थन करने के साथ बाकी उपायों के संसोधन या ऊपर उठाने का काम करेंगे,

औगाडौगू अकोर्ड्स से शुरू हुई निर्वाचक दौर की समाप्ति का स्वागत करना एवं अक्टूबर 2015 में होने वाले अध्यक्ष चुनाव की घोषणा करना और सरकार एवं विपक्ष को सकारात्मक रूप से आगे बढने एवं एक साथ राजनितिक सामंजस्य बिठाने एवं निर्वाचक स्धार करने, जिससे राजनीती साफ़ एवं पारदर्शी रहे, के लिए प्रेरित करना,

सुरक्षा सुधार एजेंडा की तरफ किये गये प्रयत्नों का स्वागत करना ख़ास तौर पर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद एवं स्थानीय अथॉरिटी के बीच में बढ़ते सहयोग के जब की आबिदजान के आगे सुरक्षा सेक्टर सुधार की राष्ट्रिय योजना के लागू होने में देरी के बारे में चिंता व्यक्त करना और सुरक्षा सेक्टर में सुधार के कार्यों में तेज़ी लाने के लिए उक्साना, उपयुक्त आदेशों का इस्तेमाल, सैन्य न्याय के सिस्टम एवं उपयुक्त बजट सम्बन्धी बटवारे के सहित,

समस्त सुरक्षा स्थिति में की गयी प्रगति एवं सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के कार्यों का स्वागत करना जब की सुरक्षा सेक्टर सुधार और पूर्व लड़ाकों के निरस्त्रीकरण, वियोजन एवं पुनर्घटन के लागू होने में देरी पर चिंता व्यक्त करें, यूएनओसीआई के सहयोग से छोटे एवं हलके हथियार के अवैध एवं प्रसरण को रोकने के राष्ट्रिय आयोग के हथियारों के निरिक्षण एवं प्रबंधन के कार्यों का स्वागत करना, और इलाके में जारी प्रयत्नों की ज़रूरत पर महत्व देना, आइवरी की सरकार का ज़रूरी वित्तीय संसाधन मुहहैया करने पर महत्त्व देना और पूर्व लड़ाकों के लिए ज़रूरी पुनर्घटन मौके का विकास करना तािक जून 2015 तक डीडीआर प्रोसेस की उपलब्धि हािसल की जा सके,

कोटे डी' आइवरी की सरकार की सुरक्षा बलों ख़ास कर पुलिस एवं सैन्यदल को ट्रेन और मान्यक प्लिस हथियारों और गोलियों से लैस करने की ज़रूरत को दोहराना,

आइवरी की सरकार के कोटे डी' आइवरी के नागरिकों को मिल रही सुरक्षा धमिकयों का अनुपात में जवाब देने की ज़रूरत पर पुनः जोर डालना और कोटे डी' आइवरी की सरकार को बुलाकर ये सुनिश्चित करवा लेना की सुरक्षा बल मानव अधिकार एवं प्रचलित अंतरराष्ट्रीय कानूनों का बचाव करने के लिए समर्पित हैं,

कोटे डी' आइवरी की सरकार और विशेषज्ञों के समूह, जो शुरू शुरू में प्रस्ताव 1584(2005) के पैराग्राफ 7 पर आधारित है, के बीच नजदीकी सहयोग को प्रेरित करना,

सचिवालय द्वारा अध्यक्ष के नोट S/2006/997 को ध्यान में रखते हुए चलाये जा रहे सुरक्षा परिषद सहायक संसथान शाखा के विशेषज्ञों के दल को बढाने एवं सुधारने के प्रयत्नों का स्वागत करना,

आइवरीअन प्राधिकारी द्वारा गैर-कानूनी कर सिस्टम का सामना करने के कार्यों की प्रगति का स्वागत करना और गैर-कानूनी नाके एवं घटनाओं में कमी के लिए सराहना करना लेकिन देश के पश्चिमी इलाके में सीमा पर नियंत्रण करने के लिए अप्रयाप्त क्षमता एवं संसाधनों को नोट करना.

किम्बर्ले प्रोसेस (केपी) द्वारा 22 नवंबर 2013 को कोटे डी' आइवरी को केपी प्रमाणन योजना की निम्नतम ज़रूरतों को पूरा करने पर स्वीकृत किया ये नोट करना, केपी मान्यकों के हिसाब से कोटे डी' आइवरी को डायमंड सेक्टर के विकास एवं केपी के मनो नदी बेसिन पहल में सहभागिता के लिए एक्शन प्लान को पूर्ण तरह से लागू करने के लिए प्रेरित करना, और खुरदुरे डायमंड की 6 महीने बाद कानूनी निर्यात के पुनःआरम्भ के बाद केपी रिव्यु निरिक्षण आयोजित करने के आमंत्रण के लिए कोटे डी' आइवरी का स्वागत करना,

महिला, शांति एवं सुरक्षा के प्रस्ताव 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013) और 2122 (2013), बच्चों एवं सशस्त्र संघर्ष के प्रस्ताव 1612 (2005), 1882 (2009), 1998 (2011), 2068 (2012) और 2143 (2014) और सशस्त्र संघर्ष के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के प्रस्ताव 1265 (1999), 1296 (2000), 1674 (2006), 1738 (2006) और 1894 (2009) को याद करना,

कोटे डी' आइवरी में उल्लंघित सभी मानव अधिकार एवं अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानूनों की निंदा करना दोहराना, नागरिकों, औरतों, बच्चों, अन्धुनी विस्थापित नागरिकों एवं विदेशी नागरिकों के खिलाफ हुई हर हिंसा और बाकी मानव अधिकारों के उल्लंघन की निंदा करना, और हर तरफ के अपराधकर्ताओं को न्याय देने के लिए उपस्थित करने पर जोर देना चाहे वो स्थानिय कोर्ट हो या अंतरराष्ट्रीय, और कोटे डी' इवोरी को अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के साथ नजदीकी सहयोग बनाए रखने के लिए प्रेरित करना,

इस विषय में यंग पेट्रियट के पूर्व नेता चार्ल्स बले गौडे का अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में तबादले का स्वागत करना और मानव अधिकारों एवं अंतरराष्ट्रीय मानवतावादी कानूनों के अपराधकर्ताओं को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रिय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयासों का स्वागत करना,

विशेषज्ञों के समूह को उनके आदेशपत्र को लागू करने के लिए प्रयाप्त संसाधन देने की जरूरत पर जोर देना,

कोटे डी' आइवरी में चल रही स्थिति विश्व शांति और उस इलाके की सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई इसे निर्धारित करना,

संयुक्त राष्ट्र के प्राधिकार के अध्याय VII के तहत कार्यकारी:

1. फैसला करता है, 30 अप्रैल को ख़त्म होने वाली अवधी के लिए, की सभी राज्य अपने प्रदेशों से या उनके नागरिकों द्वारा,झंडा वाहिकाओं या हवाईजहाज़ के माध्यम से हथियारों अथवा अन्य जानलेवा पदार्थों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपूर्ति, आइवरी कोस्ट को बिक्री या स्थानांतरण, रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा भले ही उद्भव उनके प्रदेश में हुआ हो या न हुआ हो;

- 2. फैसला करता है, गैर घातक उपकरणों की आपूर्ति, और किसी भी तकनीकी सहायता के प्रावधान, प्रशिक्षण या वित्तीय सहायता, सार्वजनिक व्यवस्था का अनुरक्षण करने के लिए आइवोरियन सुरक्षा बलों को केवल उपयुक्त और आनुपातिक बालों का प्रयोग करने के लिए सक्षम करने का इरादा, के बारे में अब समिति को सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी:
- 3. ध्यान दें की पहले अनुच्छेद में हथियार या उनसे जुड़े हुए किसी भी जानलेवा पदार्थ पर दिया गया उपाय, प्रशिक्षण, सलाह, तकनीकी या वित्तीय सहायता, एवं सुरक्षा और सैन्य गतिविधियों से संबंधित विशेषता, या फिर गैर घातक उपकरण जिसमे आइवोरियन सुरक्षा बलों के लिए नागरिक वाहनों की आपूर्ति शामिल है, के प्रावधान पर लागू नहीं होता है:

फैसला करता है, जो उपायों का उल्लेख अन्च्छेद 1 में है वो इन पर लाग् नहीं होंगे:

- (a) आपूर्ति जो केवल UNOCI में होने वाले संयुक्त राष्ट्र अभियान और जो फ्रान्सी बल उनकी सहायता कर रहे हैं उनकी सययता के इरादे से या उनके उपयोग के लिए की गई हो, और आइवरी कोस्ट से गुजरने वाली आपूर्ति जो की केवल संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान की सययता के इरादे से या उनके उपयोग के लिए की गई हो;
- (b) स्थाई रूप से निर्यात की गई आपूर्ति, आइवरी कोस्ट को, उन राज्यों को जो की अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं, केवल और सीधे तौर पर अपने नागरिकों को और आइवरी कोस्ट में जिनपर उनकी वाणिज्यिदूत संबंधी ज़िम्मेदारी है उनको निकासी की सुविधा, जैसा की पहले ही प्रस्ताव के अनुच्छेद 14 द्वारा स्थापित समिति में सूचित किया गया है। 1572 (2004);
- (c) आइवोरियन सुरक्षा बालों को हथियार व सम्बंधित जानलेवा पदार्थों की आपूर्ति, केवल SSR की इवोरियन प्रक्रिया की सहायता या उपयोग के इरादे से जैसा की पहले ही प्रस्ताव के अनुच्छेद 14 द्वारा स्थापित समिति में सूचित किया गया है। 1572 (2004), केवल उन हथियारों व सम्बंधित जानलेवा पदार्थों के अलावा जो की प्रस्ताव के अनुलग्न के बाहर पक्का किया गया हो, जिसके लिए पहले अनुच्छेद 14 द्वारा स्थापित समिति की अनुमति की आवश्यकता होती है 1572 (2004);
- 5. फैसला करता है, की समिति जैसा उपयुक्त हो हथियार व सम्बंधित जानलेवा पदार्थों की सूची में लिखी ह्ई वस्तुओं में जोड़, घटाना और स्पष्टीकरण करेगी;
- 6. फैसला करता है, कि जो अवधी अनुच्छेद 1 में लिखी गई है उस अवधी तक, आइवोरियन अधिकारियों को, जैसा उचित हो, पहले से अनुच्छेद 3(c) में दी गई वस्तुओं के लदान के लिए समिति को सूचित या अनुरोध करना होगा, और ये निर्णय भी लेता है कि सहायता पहुंचाने वाले सदस्य राज्य विकल्प के रूप में आइवरी कोस्ट की सरकार को सूचित करके, कि वो ऐसा करने का इरादा रखते हैं, अनुच्छेद 3(c) में दी गई वस्तुओं के

लदान के लिए समिति को सूचित या अन्रोध कर सकते हैं

- 7. आइवोरियन सरकार से ये अनुरोध करता है की वे यह सुनिश्चित करें की जो सूचनाएं और अनुमोदन के अनुरोध को स्वीकृति सिमिति को भेजा गई हैं उसमें सभी अनुरूप जानकारी हो जिसमें शामिल है- उपयोग और उपयोगकर्ता का उद्देश्य, आइवोरियन सुरक्षा बलों में गंतव्य इकाई या उद्दिष्ट भंडार गृह, तकनीकी निर्देश, भेजे जाने वाले उपकरणों की संख्या, उपकरणों के निर्माता और आपूर्तिकर्ता की जानकारी, वितरण की प्रस्तावित तारीख, परिवहन का साधन और लदान का यात्रा कार्यक्रम, और इस बात की विस्तृत व्याख्या पर अधिक ध्यान देने को कहता है की अनुरोधित उपकरण सुरक्षा क्षेत्र में सुधार का समर्थन कैसे करेंगे, और इस बात पर बल देता है की जो सूचनाएं और अनुमोदन के अनुरोध दिए गए हैं उसमें अगर गैर जानलेवा से जानलेवा उपकरणों का इरादतन संशोधन किया गया है तो उसकी जानकारी दी गई हो;
- 8. फैसला करता है कि आइवोरियन अधिकारी 30 सितम्बर 2015 से और 30 मार्च 2015 तक DDR और SSR की सम्बन्ध में हासिल कि गई प्रगति कि साल में दो बार सिमिति को रिपोर्ट देंगे;
- 9. आइवोरियन अधिकारीयों को प्रोत्साहित करते हैं की वो अपने मौजूदा जनादेश और संसाधनों के भीतर सूचनाएं और प्राधिकरण के अनुरोध को सुनिश्चित करने के लिए की इसमें आवश्यक जानकारी शामिल है UNOCI से परामर्श करें;
- 10. आइवरी कॉस्ट की सरकार से ये आग्रह करता है की विशेषज्ञों के समूह को और UNOCI को छूट दिए गए हथियारों को और जानलेवा हथियारों का आयात के समय और उपयोगकर्ता के पास पहुंचने से पहले उपयोग की अनुमित दें, और इस बात पर ज़ोर देता है की आइवरी कोस्ट की सरकार आइवरी कोस्ट की सीमा में आए हुए सभी हथियारों और सम्बंधित जानलेवा हथियारों को चिहिनत करे, उनके संचलन के ट्रैकिंग और निगरानी में सुधार लाने की दृष्टि से आइवरी कॉस्ट की सरकार से ये आग्रह करता है की राष्ट्रीय सुरक्षा बलों के इस्तेमाल में आने वाले सभी हथियारों और सामग्री की रजिस्ट्री रखें, छोटे हथियारों और हल्के हथियारों पर विशेष ध्यान दें;
- 11. फैसला करता है की ऊपर दिए गए अनुच्छेदों में, इस बिंदु पर रौशनी डालते हुए की देश भर में स्थिरीकरण, राष्ट्रीय पुनर्मिलन, और माफी के खिलाफ लड़ाई में कितनी प्रगति DDR और SSR के संबंध में हासिल हुई, उपायों की समीक्षा हो
- 12. 30 अप्रैल 2015 तक वित्तीय और यात्रा के उपाय के नवीनीकरण का फैसला करता है जो प्रस्ताव के अनुच्छेद 9 से 12, 1572 (2004) और अनुच्छेद 12, 1975 (2011) के अनुसार हैं और ऐसे व्यक्तियों के जारी सूचीकरण की समीक्षा करने के अपने इरादे पर ज़ोर देते हैं जो इस तरह के उपायों के अधीन हैं बशर्ते वो कार्यों में संलग्न हैं जो राष्ट्रीय पुनर्मिलन के उद्देश्य को बढ़ावा दे;
  - 13. इस प्रस्ताव की अभिग्रहण की तारीख से उन उपायों को रद्द करने का फैसला

करता है जो आइवरी कोस्ट द्वारा किसी भी राज्य को, जो हीरे की आयात पर रोक लगाते हैं जिसका उल्लेख प्रस्ताव के अनुच्छेद 6 1643 (2005), में है, किम्बरली प्रक्रिया प्रमाणीकरणन योजना के कार्यान्वय की दिशा में हुई प्रगति की रोशनी में और क्षेत्र के बेहतर शासन के लिए;

14. आइवरी कोस्ट से अनुरोध करता है की समिति के माध्यम से सुरक्षा परिषद को हीरों के लिए आंकी लागू की गई कार्य योजना की प्रगति के बारे में सूचित करे, जिसमे प्रवर्तन गतिविधियाँ शामिल हैं जैसे अवैध तस्करी, इसकी सीमा शुल्क व्यवस्था का विकास, और हीरे से वित्तीय प्रवाह की रिपोर्टिंग. आइवरी कोस्ट को विशेषजों के समूह से एक प्रतिनिधि को शामिल करने के लिए प्रस्ताव के अभिग्रहण के 9 महीनों के अंदर एक केपी समीक्षा यात्रा को होस्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है, और आगे आइवरी कोस्ट को क्षेत्रीय सहयोग और कानून प्रवर्तन गतिविधियों में निरंतर भागीदारी प्रोत्शित करता है जैसे की KP का मनो नदी बेसिन पहल;

15. KPCS और ख़ास तौर पर निगरानी और सांख्यिकी पर कार्यरत समूह को आइवरी कोस्ट के अनुपालन के सम्बन्ध में,आइवरी कोस्ट के साथ कप्स के अनुपालन के बारे में सुरक्षा परिषद को उचित जानकारी संवाद करने के लिए समिति के माध्यम से, और जब भी संभव हो, विशेषज्ञों के एक समूह द्वारा समीक्षा के लिए,आमंत्रित करता है। दानियों को प्रोत्साहित करता है आइवरी कोस्ट के प्रयासों का समर्थन करने के लिए संबंधित जानकारी साझा करने और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने के द्वारा।

16. इसके द्वारा, कोटे डी' आइवरी की सरकार को उपरोक्त प्रथम अनुच्छेद में दिए गए सुझावों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने व राष्ट्रीय न्यायिक ठाँचे में उचित प्रावधानों को समाहित करने के लिए कहा जाता है;

17. इसके द्वारा, सभी सदस्य देशों, विशेष रूप से उपक्षेत्र में स्थित देशों से अपील की जाती है कि उपरोक्त प्रथम अनुच्छेद व छठे अनुच्छेद में बताए गए सुझावों को लागू करें:

18. पश्चिमी कोटे डी' आइवरी में व्याप्त अस्थिरता पर अपनी निरंतर चिंता अभिव्यक्त की, व सभी संस्थाओं व पड़ौसी देशों का जिन्होंने ने समन्वित प्रयासों द्वारा इस विषय को संभाला का धन्यवाद दिया व आगे प्रोतसाहित किया, विशेषकर सीमांत क्षेत्रों में निरंतर निगरानी, सूचना साझा करना व समन्वित कदम उठाना, तथा साझा सीमा रणनीती बनाना व लागू करना जिससे अन्य बातों के साथ सीमा के दोनों तरफ सशस्त्र विदेशी तत्वों के निःशस्त्रीकरण व स्वदेश वापसी स्निश्चित हो;

19. यूएनओसीआई (UNOCI) व संयुक्त राष्ट्र संघ के लाईबेरिया मिशन को अपने प्रादेशों, सामर्थ्य एवम् परिनियोजित क्षेत्रों में उक्त सरकारों क्रमशः कोटे डी' आइवरी व लाईबेरिया की सरकारों को सीमा पर निगरानी बनाए रखने व बारीकी से समन्वय करने के लिए प्रोतसाहित किया। तथा प्रस्ताव/प्रस्ताव 1854 (2008) के अनुच्छेद 4 के अनुसार

लाईबेरिया पर नियुक्त विशेषज्ञों के समूह व विशेषज्ञों के पैनल के बीच जारी निरंतर सहयोग का स्वागत करता है;

- 20. निवेदन है सभी अवैध इवोरियन लड़ाकों से, उनसे भी जो पड़ोसी देशों में हैं, कि वे तत्काल अपने हथियार डाल दें, UNOCI को प्रोत्साहित किया, कि कोटे डी' आइवरी की सरकार को उन हथियारों को इकट्ठा करने व भण्डारण कर उनका पंजीकरण करने में निरंतर सहायता करे। यथा आगे बढ़कर कोटे डी' आइवरी की सरकार एवम् राष्ट्रीय आयोग को छोटे व हल्के हथियारों का प्रसरण को रोकने के लिए ECOWAS करार के अनुसार रणनीती बनाने व यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया की वह हथियार निष्प्रभावी किए जाए जिससे वह फैलने से रोका जा सकें;
- 21. स्मरण कराया की UNOCI शस्त्रों के व्यापारिक प्रतिरोध की निगरानी के साथ-साथ उसे अधिकार है की वो ऐसे शस्त्र जो की अनुच्छेद एक में दिए गए सुझावों का उल्लंघन करते हुए कोटे डी' आइवरी में लाए गए हैं उन्हें अधिकारिक तौर पर ज़ब्त कर ले:
- 22. दोहराया की, इवोरियन सरकार विशेषज्ञों के समूह, UNOCI व फ्रांसीसी सेना को बेरोकटोक अभिगम्यता को सुनिश्चित करे जिससे वह प्रस्ताव 1584 (2005), में बताए गए उपकरण, स्थल और प्रतिष्ठापन कर सके। एवम् सेना के सभी शस्त्रों, गोला बारूद व अन्य साजो सामान तथा उपरोक्त अनुच्छेद 10 अथवा 11 में ज़ब्त किए गए शस्त्रों जिन्हें बिना किसी सूचना के जैसा कि 1739 (2007), 1880 (2009), 1933 (2010), 1962 (2010), 1980 (2011), 2062 (2012), और 2112 (2013); प्रस्तावों में बताया गया है की निगरानी कर सके
- 23. सभी देशों विशेषकर उप-क्षेत्र में अविस्थित से अनुरोध किया की समीति को पूर्ण सहयोग दें व समीति को अधिकार दिया कि वह किसी भी प्रकार की आवश्यक जानकारी का अनुरोध कर सकती है;
- 24. प्रस्ताव 1727 (2006) के अनुच्छेद 7 में दिए विशेषज्ञों के समूह का कार्यकाल 13 महीने और बढ़ा कर 30 मई 2015 करने का निर्णय लिया व महासचिव से अनुरोध किया कि इसके पक्ष में उचित कदम उठाए;
- 25. दोहराया की, प्रस्ताव 1727 (2006) के अनुच्छेद 7(b) के अनुसार विशेषज्ञों के समूह को अधिकार है कि वह सभी प्रकार के वित्तीय स्रोत्तों जिनका उपयोग शस्त्रों को क्रय करने में हुआ है, जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी सम्मिलित है, उनकी जानकारी ले व सूचनाओं का पूर्ण विश्लेषण करे। और प्रस्ताव 1727 (2006) के अनुच्छेद 12(a) के अनुसार ऐसे सभी क्रियाकलापों व शामिल लोगों के बारे में बताए जो की प्राकृतिक संसाधनों, हीरे तथा सोने की तस्करी में शामिल हैं व सदैव कोटे डी' आइवरी की शांति व राष्ट्रीय सामंजस्य के लिए खतरा बने हुए हैं;
  - 26. निर्णय लिया गया की, विशेषज्ञों का समूह कोटे डी' आइवरी में दण्डित व्यक्तियों

की सूची बनाए जो शांति व सुरक्षा के लिए खतरा बने हुए हैं। व विशेषज्ञों के समूह से अनुरोध किया की वह प्रस्ताव में उपांतरण के असर को बताए;

- 27. विशेषजों के समूह से अनुरोध किया की वह उपरोक्त अनुच्छेद 1, प्रस्ताव 1572 (2004), के अनुच्छेद 9 व 11, प्रस्ताव 1975 (2011) के अनुच्छेद 12 तथा प्रस्ताव 1980 (2011) के अनुच्छेद 10 के द्वारा लगाए गए उपायों के क्रियान्वयन संबंधी मध्याविध विवरण / मध्याविध रिपोर्ट 15 अक्टूबर 2014 तक तथा अंतरिम विवरण / रिपोर्ट 15 अप्रैल 2015 तक समीति से चर्चा करके प्रस्तुत करे;
- 28. फैसला लिया गया की, प्रस्ताव 1727 (2006) अनुच्छेद 7(e) के अनुसार विशेषजों के समूह द्वारा दिए जाने वाला विवरण में प्रस्ताव 1572 (2004) के अनुच्छेद 9 और 11 तथा 1980 (2011) के अनुच्छेद 10 के अनुसार ऐसी सभी सूचनाओं व अनुशंसाओं को समीति के सामने रखे। आगे याद दिलाया की सामान्य मुद्दों पर अनौपचारिक कार्य समूह की सर्वोत्तम प्रथाओं व कार्य पद्धति पर रिपोर्ट (8/2006/997) के अनुच्छेद 21, 22 व 23 जिनमें निगरानी तंत्र के लिए प्रक्रियात्मक मानकों को स्पष्ट करने के लिए संभव कदम उठाए;
- 29. महासचिव से अनुरोध किया जाता है कि समीति के माध्यम से UNOCI द्वारा इकट्ठी की गई जानकारी जिसमें कोटे डी' आइवरी में शस्त्रों व अन्य सामान की पूर्ति जिसे विशेषज्ञों के समूह ने समीक्षित किया है उसे उपयुक्त रूप से सुरक्षा परिषद को सौंप दें;
- 30. फ्रांस सरकार से अनुरोध करते हैं फ्रांसीसी सेना द्वारा इकट्ठी की गई जानाकारी जिसे विशेषज्ञों के समूह ने समीक्षित किया है तथा जिसमें कोटे डी' आइवरी में शस्त्रों व अन्य सामान की पूर्ति उसे उपयुक्त रूप से सुरक्षा परिषद को सौंप दें;
- 31. आइवरी के अधिकारी को प्रोत्साहीत करते है की, ओइसीडी के मेजबानी में दिशा निर्देशोंके अनुसार अमल किए गये कार्यक्रम में सहयोग दे। संघर्ष से प्रभावित और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों से खनिजों की आपूर्ति करने की जिम्मेदारी ले। सोने के लिए विशेष ध्यान देते हुए और अंतरराष्ट्रीय संगठनों तक पहुचाने के लिए अन्य पहलों विचार लेकर और अन्य देश जिन्होंने इसी प्रकारों के आर्टीसनल मायनिंग के मुद्दोंपर उपाय किए है और कर रहे है, उन उपायों का लाभ ले;
- 32. आइवरी के अधिकारीयों से आवाहन किया जाता है की, अवैध करप्रणाली को नष्ट करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। पूरे देशभर में प्रासंगिक और गहन जांच चलाकर, चौिकयों की संख्या कम करके, धोखाधड़ी के मामलोंपर रोक लगाके यह किया जा सकता है। आगे ऐसे माँग की जाती है की, अधिकारी संबंधित संस्थाओं को स्थापित करने के लिए और सुदृढ बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए और जल्दसे जल्द सीमा शुल्क और नियंत्रण के लिए देश के उत्तर, पश्चिम और पूर्व भागोंमे अधिकारी वर्ग निय्क्त करें;
  - 33. विशेषजों के समूह से बिनती करते है की सीमा उपायोंका प्रभाव और इस क्षेत्र मे

नियंत्रण इनका आकलन करे। आइवरी के इस मामलों के बारेमे उपायोंसे सभी पड़ोसी राज्य और UNOCI से प्रोत्साहीत होनेका अनुरोध करती है। अपने जनादेश से, सीमा सुरक्षा और सामान्य स्थिती के पुनः स्थापना के बारे मे आइवरीयन अधिकारीयों की सहायता जारी रखें:

34. सभी राज्य, संयुक्त राष्ट्र के संबंधित समितियाँ, अन्य संगठनो और इच्छुक दलों से अनुरोध करते है की, समिति, विशेषज्ञोंका समूह, UNOCI और फ्रेंच सैन्य के साथ पूरी तरह सहयोग करें। उपर दिए गयें अनुच्छेद 1, 2 और 3, प्रस्ताव 1572 (2004), के अनुच्छेद 9 और 11, प्रस्ताव 1643 (2005) के अनुच्छेद 6 और प्रस्ताव 1975 (2011), के अनुच्छेद 12 के अनुसार संभावित उल्लंघनोंपर किये गये उपायोंकी उपलब्ध जानकारी की आपूर्ति करें। इसी के संदर्भ में विशेषज्ञों के समूहसे अनुरोध करते है की, अपने गतिविधियों का सभी राजनितिक दलोंके नेतांओंसे समन्वय रखें और सुरक्षा परिषद के अनौपचारिक समूह के सामान्य मुद्दोंके प्रतिबंध के बयान पर उनका जनादेश लागू करे (8/2006/997);

35. बच्चे और सशस्त्र संघर्ष के लिए काम करने वाले महासचिव के विशेष प्रतिनिधी और यौन शोषण संघर्ष के लिए काम करने वाले महासचिव के विशेष प्रतिनिधी से अनुरोध करते है की, उनके पास प्राप्त जानकारी समिति के साथ, प्रस्ताव 1960 (2010) के अनुच्छेद 7 के आधारपर और प्रस्ताव 1998 (2011) के अनुच्छेद 9 के आधार पर बाटें;

36. इसी के संदर्भ मे आग्रह करते है की, आइवरी स्थित सभी दल और सभी राज्य, विशेष रुपसे इस प्रदेश मे आने वाले, सुनिश्चित करे:

- विशेषज्ञों के समूह के सभासदों की सुरक्षा;
- विशेषज्ञों के समूह को लोगों की, दस्तावेजों की, घटनास्थलों की बिना किसी रुकावट
  या बाधा के जाँच कर दी जाए, जिस कारण विशेषज्ञों का समूह अपने आदेशों को अंजाम दे सके;
  - 37. जब्त किये हुए मामलों में सक्रिय रूप से सहयोग दे।

## अनुबंध

- 1. हथियार, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रुपसे छोड़ने वाले तोपखाने, 12.7 मीमी से ज्यादा क्षमता वाली बंदूके, उनके गोला बारुद और घटका.
- 2. अग्निबाण से छोडे जानेवाले हथगोले, अग्निबाण, वजन में हलके टैंक विरोधी हथियार, राइफल से छोडे जानेवाले हथगोले और हथगोले प्रक्षेपक।
- 3. जमीन से हवा (अंतरिक्षा) मे मारने के प्रक्षेपास्त्र, जिसमे मानव चिलत वायु रक्षा प्रणाली उपलब्ध है; जमीन से जमीन पर मारने के प्रक्षेपास्त्र; तथा हवा (अंतरिक्षा) से जमीन पर मारने के प्रक्षेपास्त्र।
- 4. 82 मीमी. से ज्यादा क्षमता वाले मोर्टर
- 5. टैंक विरोधी निर्देशित हथियार, विशेषरुप से टैंक विरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र, उनके गोला बारुद और घटक।
- 6. सशस्त्र विमान, जिन में घूमनेवाले या स्थायी रुप के पंख लगे है।
- 7. हथियारों से लदे ह्ए वाहन या फिर हथियार स्थापित किए गये वाहन।
- 8. विस्फोटकों की साधन और प्रकार, जिनमे विस्फोटक सामान लदा हुआ है, जिनका ढांचा सैनिकी उद्देश्य, सुरंग तथा संबंधित सामग्री के लिए इस्तेमाल करने योग्य हो।
- 9. रात के समय अवलोकन तथा गोलीबारी करने के लिए साधन।